भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1210
28.06.2019 को उत्तर के लिए

बंगाल टाइगरों का संरक्षण

1210. श्री खगेन मुर्मु :
डॉ सुकान्त मजूमदार :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल टाइगर जलवायु परिवर्तन का सामना नहीं कर पायेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने प्रकृति हेतु वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किए गए अध्ययन को संज्ञान में लिया है, जिसके अनुसार समुद्र स्तर में 11 इंच की वृद्धि होने से सुन्दरवन में कुछ दशकों के भीतर टाइगरों की संख्या 96 प्रतिशत कम हो जायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पर्यावास क्षति, शिकार और जानवर अंगों/भागों के अवैध व्यापार ने टाइगरों की वैश्विक जनसंख्या को 100,000 से घटाकर 4000 से कम कर दिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश में बंगाल टाइगरों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा ऐसे कोई अध्ययन नहीं कराए गए हैं।

(ग) और (घ) इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा वर्ष 2006 से भारत में बाघों की संख्या में बढ़ती प्रवृत्ति को **अनुबंध-।** में दर्शाया गया है।

(ड.) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से बाघों के संरक्षण हेतु की गई महत्वपूर्ण पहलें **अनुबंध-।।** में दी गई हैं।

****

अनुबंध-।

'बंगाल टाइगरों का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 28.06.2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2006, 2010 और 2014 के दौरान देश में बाघ भू-दृश्यों से संबंधित बाघ आकलन का ब्यौरा

राज्य	बाघों की संख्या		
	2006	**2010**	**2014**
शिवालिक-गांगेय मैदान भू-दृश्य परिसर			
उत्तराखंड	178	227	340
उत्तर प्रदेश	109	118	117
बिहार	10	8	28

शिवालिक-गांगेय	**297**	**353**	**485**
मध्य भारतीय भू-दृश्य परिसर और पूर्वी घाट भू-दृश्य परिसर			
आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित)	95	72	68
छत्तीसगढ़	26	26	46
मध्य प्रदेश	300	257	308
महाराष्ट्र	103	169	190
ओडिशा	45	32	28
राजस्थान	32	36	45
झारखण्ड	-	10	3*
मध्य भारत	**601**	**601**	**688**
पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर			
कर्नाटक	290	300	406
केरल	46	71	136
तमिलनाडु	76	163	229
गोवा	-	-	5
पश्चिमी घाट	**412**	**534**	**776**
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदान			
असम	70	143	167
अरूणाचल प्रदेश	14	-	28♣
मिजोरम	6	5	3*
उत्तरी पश्चिम बंगाल	10	-	3
पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र	**100**	**148**	**201**
सुंदरवन	-	70	76
कुल	**1411**	**1706**	**2226**

* स्कैट डीएनए से

♣ कैमरा ट्रैप डाटा और स्कैट डीएनए से

******

अनुबंध-II

'बंगाल टाइगरों का संरक्षण' के संबंध में दिनांक 28.06.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1210 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से बाघ के संरक्षण के लिए की गई महत्वपूर्ण पहलें

विधिक उपाय

1. वर्ष 2006 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में, धारा 38 IV ख के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और धारा 38 IV ग के अंतर्गत बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए समर्थकारी प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया।

2. बाघ रिजर्व के कोर क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा बाघ रिजर्व में शिकार संबंधी अपराध या बाघ रिजर्व की सीमा में परिवर्तन, आदि संबंधी अपराध के मामले में दण्ड को बढ़ाना।

3. बाघ परियोजना के लिए और बाघ रिजर्वों में पर्यटन हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 O 1(ग) के अंतर्गत दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

प्रशासनिक उपाय

4 बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) 4 सितंबर, 2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ रिज़र्व प्रबंधन के मानदण्डों का निर्धारण, रिज़र्व विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना बनाना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना सुनिश्चित की गई है।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6 जून, 2007 से बहुविध बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है।

6. संचार तथा बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों को मिलाकर गठित कार्यबल की तैनाती के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों या होमगार्डों को शामिल करके गठित अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती हेतु बाघ रिज़र्व राज्यों के प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के दौरान गश्त के लिए बनाई जाने वाली विशेष कार्यनीति सहित अवैध शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण।

7. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा नये बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल हैं : सुनाबेदा (ओडिशा) और गुरू घासीदास (छत्तीसगढ़)। राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है : (i) महादेई वन्यजीव अभयारण्य (गोवा) (ii) श्रीविलीपुथुर ग्रिज्लड जाईन्ट स्क्विरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य/वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु), (iii) दिबंग वन्यजीव अभयारण्य (अरूणाचल प्रदेश), (iv) कावेरी-एमएम हिल्स वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक) और (v) नन्धौर वन्यजीव अभयारण्य (उत्तराखंड)।

8. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड), ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (असम) और कामलांग वन्यजीव अभयारण्य (अरूणाचल प्रदेश) को 48वां, 49वां और 50वां बाघ रिजर्व घोषित/अधिसूचित किया गया है।

9. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना या पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता (1 लाख रू. प्रति परिवार से 10 लाख रू. प्रति परिवार) देना, बाघ रिजर्वों के बाहर के वनों में पारम्परिक शिकार, आजीविका को मुख्य धारा में लाने और वन्यजीव सरोकारों में शामिल समुदायों की बहाली या पुन:स्थापना और पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए बहाली कार्यनीति के जरिए कॉरीडोर संरक्षण को बढ़ावा देना शामिल हैं।

10. ब़ाघों (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्थिति का मूल्यांकन करने सहित) के आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली बनाकर उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन तथा मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशचिन्ह हैं।

11. वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत, 18 बाघ राज्यों द्वारा देश में सभी 50 बाघ रिजर्वों के कोर/संवेदनशील बाघ पर्यावास (40145.30 वर्ग किलोमीटर) और बफर/परिधीय क्षेत्र (32603.72 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किए गए हैं।

12. एक वन महानिरीक्षक के अधीन नागपुर, बेंगलुरू और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं।

वित्तीय उपाय

13. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकारों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि ''बाघ परियोजना'' और ''वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास'' के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

14. भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल होने के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ भी एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

15. सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16. रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ और तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-दल का गठन किया गया है।

17. भारत, बाघ संरक्षण से संबंधित अंतराष्ट्रीय मुद्दों के निराकरण हेतु बाघ रेंज देशों के वैश्विक बाघ फोरम का संस्थापक सदस्य है।

18. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 के दौरान आयोजित हुई थी, में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी परिसंघ के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसमें केवल जंगली बाघों के संरक्षण के लिए ऐसी बंधक संख्या को समर्थन स्तर तक सीमित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया के संबंध में पक्षकारों को निदेश दिए गए हैं। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बाघों के अंगों और उनके व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर लगी रोक को जारी रखे जाने के महत्व पर बल दिया गया।

19. दिनांक 23 से 27 जुलाई, 2012 के दौरान जेनेवा में आयोजित वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) की स्थायी समिति की 62वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन सचिवालय ने पक्षकारों को 14.69 निर्णय के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु दिनांक 3 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 2012/054 जारी की है और 25 सितंबर, 2012 तक सचिवालय को रिपोर्ट (बाघों आदि की कैप्टिव ब्रीडिंग आप्रेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति) प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

20. तृतीय एशिया मंत्रालयी सम्मेलन (3 एएमसी), नई दिल्ली में 12-14 अप्रैल, 2016 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन कि "बाघों का संरक्षण विकल्प नहीं है, अपितु यह एक अनिवार्यता है" से प्रेरित होकर वर्ष 2022 तक जंगलों में बाघों और उनके पर्यावासों का संरक्षण सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए बाघ वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि :

- वैश्विक बाघ बहाली कार्यक्रम (जीटीआरपी)/राष्ट्रीय बाघ बहाली कार्यक्रम (एनटीआरपी) और ऊपर उल्लिखित घोषणाओं से सहमत कार्रवाइयों के **कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे**, प्राथमिकता और विभेदीकरण वाली कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें अद्यतन करेंगे तथा पारस्परिक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नजर रखेंगे।
- बाघ संरक्षण के सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विकास कार्यनीतियों के पुनर्भिविन्यास द्वारा पारस्परिक संपूरक रीति से **विकास और बाघ संरक्षण को साथ-साथ लेकर चलेंगे**, जैसे कि भूदृश्य स्तर पर अवसंरचना में बाघ और वन्यजीव सुरक्षोपाय एकीकरण, व्यापारी समूहों के साथ सहभागिता विकसित करना तथा स्थानीय हितधारकों के साथ मजबूत अनुबंध।
- टीआरसी सरकारों के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, संघों, सिविल सोसाइटी संगठनों, निजी क्षेत्र और जलवायु निधियों से **निधियन और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल** करेंगे।
- बाघ पर्यावासों को **पारिप्रणाली सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन का निराकरण करने में सहायता प्रदान करने वाले इंजन के रूप में** प्रचार करने के द्वारा इनके महत्व को मान्यता देंगे और इनका संवर्धन करेंगे।
- बाघों को पुन: छोड़े जाने तथा उनके पर्यावासों और शिकार को पुनर्वासित करने संबंधी सफल कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए **कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या की पुनर्बहाली** करेंगे तथा ऐसे क्षेत्रों का पुनरुद्धव करेंगे, जहां पर ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
- वन्यजीव अपराध को कम करने, बाघ उत्पादों की मांग का निराकरण करने तथा औपचारिक और अनौपचारिक सीमापारीय समन्वय में वृद्धि करने हेतु **सरकार के उच्चतम स्तरों पर सहयोग को सुदृढ़** करेंगे।
- प्रबंधन प्रभाविता में सुधार करने के लिए **सभी हितधारकों के लिए ज्ञान साझा करने तथा क्षमता विकास में संवर्धन करेंगे** और स्मार्ट उपकरणों, निगरानी प्रोटोकॉल्स और सूचना प्रणालियों सहित **प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएंगे।**

21. भारत-रूस द्विपक्षीय करार किया गया जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और ए.एन. सेवेरस्टोव इंस्टीट्यूट ऑफ इकालॉजी एंड इवेल्यूएशन के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया गया और जिस पर दिनांक 04.12.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।

<u>अन्य विविध उपाय</u>

22. **विशेष बाघ संरक्षण बल (एसटीपीएफ) का गठन :** बाघ परियोजना की जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 13 प्रारंभिक रूप से चयनित बाघ रिजर्वों में 60% केन्द्रीय सहायता से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र (पेंच, तदोबा-अंधारी, नवेगांव-नागजीरा, मेलघाट), राजस्थान (रणथम्भौर) और ओडिशा (सिमिलीपाल) राज्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) कार्यरत किए गए हैं।

23. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से **ऑनलाइन टाइगर मॉर्टेलिटी डाटाबेस** शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं, जो व्यापक बाघ संरक्षण योजना में शिकार-रोधी रणनीतियों के लिए आधार तैयार करते हैं।

24. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निधि प्रवाह से जुड़े बाघ राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) का कार्यान्वयन करना।

25. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'मानीटरिंग सिस्टम फार टाइगर्स' इन्टेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलोजिकल स्टेट्स (M-STrIPES) शुरू करने के अलावा, अवसरंचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। एम-स्ट्राइप्स एपलिकेशन को तीन भिन्न माड्युल नामशः गश्त, पारिस्थितिकी और संघर्ष के साथ एंड्रायड आधारित बनाया गया है।

26. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता बढ़ाकर फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए पहल की गई।

27. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुनर्निर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रुप में उनमें नए बाघों और बाघिनों को लाने का कार्य किया गया है। पन्ना में वन्य बाघों को सफलतापूर्वक लाया जाना एक अद्वितीय और विश्व में अपने प्रकार का पहला कार्य है । लाई गई बाघिनें प्रजनन कर रही हैं। पन्ना (म.प्र.) में भी बाघ लाए जाने का प्रयास बहुत सफल रहा है।

28. **अखिल भारतीय बाघ, सह-परभक्षी और शिकार आकलन, 2014 :-** राष्ट्र स्तरीय बाघ स्थिति आकलन का तीसरा चरण, वर्ष 2014 में पूरा हुआ जिसके अनुसार 2010 के पिछले राष्ट्र स्तरीय अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानतः 1706 (निम्नतर और उच्चतर सीमाएं क्रमशः 1520-1909 टाइगर), और वर्ष 2006 के अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानतः 1411 (बाघों की निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमशः 1165 और 1657) थी जिसकी तुलना में वर्ष 2014 में इनकी संख्या (क्रमशः 1945 की निम्नतर और 2491 की उच्चतर सीमा के साथ) 2226 होने का अनुमान है तथा यह संख्या वृद्धि का रूझान दर्शाती है। इस समय, बाघ परियोजना (18 राज्यों के 50 बाघ रिजर्वों में फैले देश के भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% में) के माध्यम से प्रजातियों के संरक्षण का अपना लंबा इतिहास होने के कारण, विश्व के 13 बाघ क्षेत्र वाले देशों में से बाघों की संख्या और उनके स्रोत क्षेत्रों का लगभग 70% भारत के पास है।

29. **प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई) :** जनवरी 2015 में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई) संबंधी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 43 बाघ रिजर्वों के लिए 2013-14 में संशोधित किए गए मानदंड पर आधारित स्वतंत्र मूल्यांकन का तृतीय चरण शामिल था। 43 बाघ रिजर्वों में से 17 को 'बहुत अच्छा', 16 को 'अच्छा' और 10 को 'साधारण' रेटिंग दी गई थी।

30. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

<u>मानक प्रचालन क्रिया विधि (एसओपी)</u>

31. बाघ परियोजना/राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की परामर्शिकाओं के आधार पर बाघों की मौतों से संबंधित 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है जिसमें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य के अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्राप्त वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अनुकूल सूचनाएं दी गई हैं।

32. मानव-बस्तियों में आवारा बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई हैं।

33. बाघ/तेंदुए के शवों/शरीर के अंगों के निपटान हेतु, 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

34. जंगल में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों और बूढ़े/जख्मी बाघों के कल्याण हेतु मानक प्रचालन क्रियाविधि जारी की गई है।

35. पशुधन पर बाघ हमलों से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

36. एनटीसीए द्वारा साझा सीमा वाले बाघ रिजर्वों के बीच अंतरराज्यीय समन्वय हेतु 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

37. लैंडस्केप स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन हेतु एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

38. चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर शुरू करना, कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग कर बाघों की निरंतर मॉनीटरिंग करना और अलग-अलग बाघों के फोटों कैप्चर संबंधी आंकड़े तैयार करना।

39. अलग-अलग बाघ की कैमरा ट्रैप फोटो आईडी की राष्ट्रीय रिपोजिटरी के सृजन का आरम्भ।

40. आवारा बाघों से निपटने के लिए क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

41. कार्बेट बाघ रिजर्व (उत्तराखंड) में पायलट ई-निगरानी परियोजना पूरी होने पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व (असम) में और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) के आस-पास 24x7 ई-निगरानी संस्थापित करने हेतु (100%) केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

42. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से **छह बाघ आरक्षित क्षेत्रों का आर्थिक मूल्यांकन** किया गया है। इसी प्रकार का मूल्यांकन 10 और बाघ रिजर्वों में किया जा रहा है।

43. भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से पन्ना बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश) में मानव-रहित हवाई वाहन द्वारा निगरानी का प्रायोगिक परीक्षण किया गया और अब अन्य 13 बाघ-रिजर्वों में भी इसे विस्तारित करने की योजना है। फ्रंटलाइन स्टाफ का क्षमता निर्माण कर लिया गया है और उपकरणों का पहला सेट पन्ना बाघ रिजर्व को सौंपा गया है।

44. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक गांगेय मैदानी भू-परिदृश्यों के बाघ रिजर्वों में और उनके आस-पास की स्थिति, सघनता एवं वनावरण में परिवर्तन का आकलन किया गया।

45. सुंदरवन में बाघ स्थिति के आकलन पर बांग्लादेश की संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

46. बाघ रिजर्वों में ऑन-लाइन बाघ/वन्यजीव अपराध ट्रैकिंग/रिपोर्टिंग सिस्टम की दिशा में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ सहयोग की पहल की गई।

47. सभी बाघ रिजर्वों में एनटीसीए के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित सुरक्षा लेखापरीक्षा कार्यढांचे को मान्य किया गया है। इस कार्यढांचे के माध्यम से 25 बाघ रिजर्वों का उनके सुरक्षा प्रोटोकॉलों के संबंध में आकलन किया गया है।

48. बाघ रिजर्वों के बाहर बाघ बहुल क्षेत्रों की स्थिति के आकलन हेतु सीए/टीएस (सुनिश्चित संरक्षण/बाघ मानक) कार्यढांचे का प्रयोग किया जा रहा है जिससे ऐसे क्षेत्रों में प्रबंधन हस्तक्षेपों में कमियों का पता लगाने में सहायता मिलती है ताकि उपयुक्त रणनीतियों के माध्यम से कमियों का निराकरण किया जा सके। सीए/टीएस प्रमाणन प्राप्त 4 वैश्विक स्थलों में से 2 स्थल भारत में हैं, नामशः उत्तराखंड में रामनगर और लैंसडाउन वन प्रभाग।

49. नेपाल, भूटान और बांगलादेश के साथ उप-महाद्वीप स्तरीय बाघ आकलन रिपोर्ट तैयार करने की पहल की गई है।

50. अधिक ऊंचाई वाले भू-दृश्यों में बाघों की उपस्थिति का आकलन करने के लिए वैश्विक बाघ फोरम के साथ एक सहयोगपूर्ण परियोजना शुरू की गई है।

*****